प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

युगल पीठः माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा एवं
माननीय श्री डी०आर० देशमुख, न्यायमूर्तिगण

<u>प्रथम अपील क्रमांक 75/2007</u>

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण — प्रेमलाल व अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण/वादीगण — श्रीमती बसंती बाई केश्वरवानी एवं अन्य

<u>विचारार्थ निर्णय हेतु</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा,
न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री डी०आर० देशमुख
मैं सहमत हूं।

(सही/-)
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

आदेश हेतु दिनांक 10.11.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
07.11.2008

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा एवं
माननीय श्री डी०आर० देशमुख, न्यायमूर्तिगण

प्रथम अपील क्रमांक 75/2007

अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण

1. प्रेमलाल, उम्र लगभग 57 वर्ष, आत्मज रामकेश केशरवानी
2. बलराम, उम्र लगभग 29 वर्ष, आत्मज प्रेमलाल केशरवानी
3. लखनलाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, आत्मज प्रेमलाल केशरवानी
4. लक्की, उम्र लगभग 27 वर्ष, आत्मज प्रेमलाल केशरवानी
5. मनोज कुमार, उम्र लगभग 30 वर्ष, आत्मज छेदीलाल केशरवानी

सभी साकिन- पानी टंकी के पास, कुद्दुदण्ड, बिलासपुर, तहसील एवं जिला- बिलासपुर (छ०ग०)

बनाम

उत्तरवादीगण/ वादीगण

1. श्रीमती बसंती बाई केशरवानी, उम्र लगभग 59 वर्ष, पति स्वर्गीय कन्हैयालाल केशरवानी, साकिन- मुंगेली नाका, कुदुदंड, बिलासपुर, तहसील एवं जिला- बिलासपुर (छ०ग०)
2. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित -

अपीलार्थीगण हेतु - श्री रत्नेश अग्रवाल एवं श्री धीरज के० वानखेड़े, अधिवक्तागण
उत्तरवादी क्र० 1 - श्री रमाकांत पांडे, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्र० 2/राज्य हेतु - श्री एन०के० अग्रवाल, उप महाधिवक्ता
न्याय-मित्र - श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री संजय एस० अग्रवाल एवं श्री संजय के० अग्रवाल, अधिवक्तागण

आदेश

(दिनांक 10.11.2008 को पारित)

माननीय न्यायाधीश धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा –

1. इस आदेश द्वारा, अपीलार्थीगण के आवेदन अर्थात् आई०ए० क्रमांक 5, अपील वापस लेने सहित आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता का आवेदन, आई०ए० क्रमांक 6, प्रथम अपील में संदत्त न्याय शुल्क की वापसी का आवेदन, तथा आई०ए० क्रमांक 7, आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति की प्रमाणित प्रति वापस लेने की अनुमति का आवेदन, का निराकरण किया जा रहा है।

2. यह प्रथम अपील व्यवहार वाद क्रमांक 38-अ/2007 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 11.5.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा वादी/उत्तरवादी क्र० 1 के वाद को उनके पक्ष में व्यय सहित आज्ञप्ति पारित कर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को निर्देशित किया गया है कि वे वाद भूमि/मकान एवं होटल का रिक्त कब्जा वादी को एक माह की अवधि के भीतर पुनः सौंपे, अन्यथा वादी 2,000/- रूपये प्रति माह के दर से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. उत्तरवादी क्र० 1/वादी द्वारा वाद संपत्ति से दिनांक 14.5.1997 को विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिए जाने के विशेष कथनों सहित कब्जे का प्रत्यावर्तन हेतु विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संक्षेप में '1963 का अधिनियम') के धारा 6 के अधीन उपर्युक्त वाद दायर किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति के माध्यम से, उपरोक्तानुसार, वादी के वाद को डिक्रीत कर दिया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'व्य०प्र०सं०') की धारा 96 के अंतर्गत यह नियमित प्रथम अपील दायर किया गया है तथा अपील के ज्ञापन में ₹89,800/- का न्याय शुल्क चस्पा किया गया है। इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.8.2007 के

माध्यम से अपीलार्थीगण द्वारा आज्ञप्ति का धन संबंधी भाग को कुछ शर्तों सहित जमा करने पर, आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति के प्रभाव एवं प्रवर्तन पर स्थगनादेश प्रदान किया गया है। उत्तरवादी क्र० 1/वादी द्वारा स्थगनादेश हटाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को भी दिनांक 5.2.2008 को खारिज कर प्रकरण को अंतिम सुनवाई हेतु नियत किया गया है। तत्पश्चात, उत्तरवादी क्र० 1 द्वारा उनके आवेदन दिनांक 10.3.2008 (आई०ए० क्र० 2) द्वारा, यह कथन करते हुए अपील को ख़ारिज करने की प्रार्थना की गई है कि 1963 के अधिनियम की धारा 6(3) के प्रावधानानुसार, धारा 6 के अधीन संस्थित वाद में पारित आदेश अथवा आज्ञप्ति के विरुद्ध कोई अपील पोषणीय नहीं है। उपर्युक्त प्रारंभिक आपत्ति का सामना करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा उपर्युक्त आवेदनों के आलोक में अपील को वापस लेने के साथ सिविल पुनरीक्षण दायर करने की स्वतंत्रता हेतु प्रार्थना किया गया तथा अपील के ज्ञापन में चस्पा न्याय शुल्क की वापसी की भी प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उपर्युक्त आवेदनों के निराकरण हेतु संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीगण को आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण दायर करने की स्वतंत्रता के साथ प्रथम अपील वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है और क्या अपीलार्थीगण को अपील वापस लेने की अनुमति प्रदान करने के अनुक्रम में अपील के ज्ञापन में चस्पा न्याय शुल्क भी वापस करने का आदेश दिया जा सकता है।

5. जहाँ तक अपील वापस लेने की अनुमति सहित सिविल पुनरीक्षण दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान किए जाने का प्रश्न है, 1963 के अधिनियम की धारा 6(3) के प्रावधानों के आलोक में, वर्तमान अपील पोषणीय नहीं है तथा इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण को यह अपील वापस लेने की अनुमति प्रदान करने में, विधि के सम्यक उपलब्ध विकल्पों का लाभ उठाना जिसमें आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण दायर करना भी सम्मिलित है, कोई अड़चन नहीं है।

6. एकमात्र शेष प्रश्न यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय अपीलार्थीगण को ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत है जिससे वे अपील के ज्ञापन में चस्पा सम्पूर्ण न्याय शुल्क वापस प्राप्त कर सके।

7. विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इस विषय में अपनाए गए भिन्न दृष्टिकोण के आलोक में, अधिवक्ता संघ से इस विधि के प्रश्न पर अपनी प्रस्तुति देने का अनुरोध किया गया और तदनुसार, श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, एवं श्री संजय एस० अग्रवाल एवं श्री संजय के० अग्रवाल, अधिवक्तागण, द्वारा न्यायालय को विस्तारपूर्वक संबोधित किया गया तथा लिखित तर्क भी प्रस्तुत किए गए।

8. श्री रत्नेश अग्रवाल एवं श्री वानखेड़े, अधिवक्तागण हेतु अपीलार्थीगण, द्वारा जोरदार ढंग से तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के बजाय अनवधानता से यह प्रथम अपील प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि 1963 के अधिनियम के धारा 6 की उपधारा (3) के परिप्रेक्ष्य में संधार्य नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील के ज्ञापन सहित ₹89,800/- का भारी न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया है। यद्यपि वर्तमान प्रकरण न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 13, 14 एवं 15 के अधीन आवृत नहीं है, तथापि, न्यायालय, अपीलार्थीगण द्वारा अनवधानता से दायर किए गए इस अपील के ज्ञापन सहित संदत्त न्यायालय शुल्क की वापसी हेतु व्य०प्र०सं० की धारा 151 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री संजय एस० अग्रवाल, अधिवक्ता, द्वारा इस विधि के प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित प्रतिपादन प्रस्तुत किया गया है :-

क) यद्यपि न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 13, 14 एवं 15 के अधीन आवृत न होने वाले प्रकरणों में भी, न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में

अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर, भूलवश, अनवधानता से अथवा अपेक्षा से अधिक संदत्त किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी कर सकता है। तथापि, न्यायालय की न्यायालय शुल्क लौटाने की अंतर्निहित शक्ति केवल उन्हीं शुल्कों तक सीमित है जिन्हें अवैधानिक अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारण अथवा संग्रहण किया गया हो, और यह उन शुल्कों तक विस्तारित नहीं होता है जो न्यायालय शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संदत्त किए गए हों।

ख) जहाँ अपील वापस ले ली जाती है/प्रवर्तित नहीं की जाती है क्योंकि वह निरर्थक हो गया है, उस स्थिति में अपीलार्थी को अपील के ज्ञापन पर जमा किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी का अधिकार नहीं होता है।

ग) जहाँ अपील दायर की गई हो तथा अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता आहूत किया गया हो और आगे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का संज्ञान लिया गया हो तथा/अथवा अपीलार्थी की सहायता हेतु कोई आदेश/अंतरिम आदेश पारित किया गया हो, वहाँ केवल इस कारण से कि तर्क के स्तर पर अपील की पोषणीयता पर आपत्ति का सामना करने पर अपील वापस ले ली गई हो या अपील को पुनरीक्षण में परिवर्तित करने हेतु प्रार्थना किया गया हो, न्यायालय शुल्क की वापसी अनुमेय नहीं होगी क्योंकि उस पर संदत्त किया गया न्यायालय शुल्क अपने उद्देश्य की पूर्ति कर चुका है। तथापि, अपवादस्वरूप उन मामलों में जहाँ अपील का ज्ञापन दायर कर अंकित एवं पंजीकृत किया गया हो किन्तु उस पर बहस बिल्कुल नहीं हुई हो और न्यायालय द्वारा न तो अपील का संज्ञान लिया गया हो न ही कोई आदेश पारित किया गया हो, तथा केवल न्यायालय शुल्क की वापसी का ही निवेदन किया गया हो, वहाँ न्यायालय शुल्क की वापसी न्यायसंगत विचार एवं उचित न्याय करने के उद्देश्य से प्रदान की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. श्री संजय के० अग्रवाल, अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तथा लिखित तर्क में यह प्रतिवाद किया गया कि न्यायालय शुल्क की वापसी केवल न्यायालय शुल्क

अधिनियम की धारा 13, 14 एवं 15 में वर्णित परिस्थितियों में ही आदेशित किया जा सकता है तथा उपर्युक्त धाराओं में वर्णित कोई भी परिस्थिति वर्तमान प्रकरण में विद्यमान नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि कराधान संबंधी विधान का कठोर रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। जहाँ न्यायालय शुल्क, न्यायालय शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संदत्त किया गया हो, वहाँ न्यायालय अपने अंतर्निहित शक्तियों के अधीन उसके वापसी का आदेश नहीं दे सकता है क्योंकि केवल वही न्यायालय शुल्क वापस किया जा सकता है जिसे अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारण अथवा संग्रहण किया गया हो। आगे यह भी प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया कि जहाँ अपीलार्थी अपना अपील वापस लेता है, वहाँ अपीलीय न्यायालय अपने अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में न्यायालय शुल्क की वापसी का आदेश नहीं दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसी प्रकार के तर्क श्री एन०के० अग्रवाल, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी क्र० 2/राज्य की ओर से भी प्रस्तुत किया गया है।

12. हमने उभय पक्षकार के अधिवक्तागण को विस्तार से सुना।

13. **अर्जुना गोविन्द बनाम अमृता केशीबा अन्य** [1] के प्रकरण में, नागपुर उच्च न्यायालय के युगल पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "जहाँ स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा आपत्ति उठाए जाने के कारण कक्षीकार अतिरिक्त न्यायालय शुल्क संदत्त करता है, जो कि देय नहीं है, वहाँ न्यायालय अपने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर वापसी का आदेश दे सकता है।"

14. **गोविन्द राम बनाम राज्य अन्य** [2] के प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के युगल पीठ द्वारा अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील के अपील के ज्ञापन पर चस्पा न्यायालय शुल्क की वापसी के संबंध में विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया

[1] ए०आई०आर० 1956 नागपुर 281

[2] ए०आई०आर० 1957 इलाहाबाद 734

गया है कि "जहाँ अपीलार्थी स्वयं द्वितीय अपील प्रस्तुत करता है और उस पर उपयुक्त न्यायालय शुल्क संदत्त करता है; उसे किसी ने नहीं कहा था और न ही किसी ने उसे ऐसा करने हेतु बाध्य किया था। तर्क के दौरान यह प्रतिवाद कर कि अपील पोषणीय नहीं है, अपील को बाद के चरण में पुनरीक्षण में परिवर्तित कर दिया गया। कोई भी पक्षकार जब वाद, अपील अथवा आवेदन न्यायालय शुल्क संदत्त कर प्रस्तुत करता है, तो जब वह वाद, अपील अथवा आवेदन अधिकारिता के अभाव के आधार पर ख़ारिज किया जाता है, उस स्थिति में उसे न्यायालय शुल्क की वापसी का अधिकार प्राप्त नहीं होता।" यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि "केवल इस कारण से कि न्यायालय ने उसे द्वितीय अपील को पुनरीक्षण में परिवर्तित करने की अनुमति दी, उसे द्वितीय अपील दायर नहीं करना चाहिए था जब वह पोषणीय ही नहीं था। यदि अपील को किसी भी कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व वापस ले लिया जाता है तो यह प्रतिवाद किया जा सकता था कि उस पर संदत्त किया गया न्यायालय शुल्क बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ है किन्तु यह तर्क तब स्वीकार नहीं किया जा सकता जब अपील बहस हेतु नियत हो और उसकी पोषणीयता पर आपत्ति सुना जाना हो। अन्यायपूर्ण समृद्धि के सिद्धांत का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता क्योंकि राज्य द्वारा अपील का निराकरण करने में समय एवं श्रम व्यय किया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **मुन्नालाल एवं एक अन्य बनाम अबीर चन्द** [3] के प्रकरण में सशर्त धन आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया गया था। शर्तों का पालन न किए जाने के परिणामस्वरूप वाद निरस्त किया गया एवं इस प्रकार प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील निरर्थक हो गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील वापस लेने की अनुमति दी गई और न्यायालय शुल्क की वापसी हेतु उनके अभ्यावेदन को पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ संदर्भित किया कि "क्या यह न्यायालय अपने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अपील के संबंध में संदत्त किए

[3] ए०आई०आर० 1958 इलाहाबाद 766

गए न्यायालय शुल्क की वापसी का आदेश दे सकता है, जिसे पोषणीयता से पूर्व ही निरर्थक हो जाने के कारण वापस ले लिया गया हो?"

अपने पूर्ववर्ती अनेक निर्णयों का विस्तृत संदर्भ लेते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ द्वारा न्यायालय शुल्क वापसी के अभ्यावेदन को यह अभिमत व्यक्त करते हुए निरस्त कर दिया कि भारत में न्यायालय शुल्क का अधिरोपण अधिनियम द्वारा स्वीकृत है। न्यायालय की सहायता प्राप्त करने हेतु इसका भुगतान पुरोभाव्य शर्त है। संदेय राशि विधि द्वारा निर्धारित है। जब तक यह शुल्क संदत्त नहीं किया जाता, कक्षीकार को सुना नहीं जा सकता। न तो अधिरोपण और न ही संदेय राशि कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करती है, यहाँ तक कि प्रकरण को गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए अथवा नहीं, इस पर भी नहीं। अतः यदि विधि द्वारा अपेक्षित उचित न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया है तो केवल इस कारण से कि किसी कारणवश गुण-दोष पर विचार करना आवश्यक नहीं रह गया, उसकी वापसी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, यद्यपि न्यायालय के पास न्याय करने और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की अंतर्निहित शक्ति है। तथापि, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय विधि के प्रावधान को दरकिनार नहीं कर सकता और न ही कक्षीकार को न्यायालय शुल्क संदत्त करने के दायित्व से मुक्त कर सकता है अथवा उसके दायित्व को घटा सकता है। इसके विपरीत, उसका कर्तव्य है कि वह विधि का प्रवर्तन करे और यह सुनिश्चित करे कि उसका पालन किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. पंजाब उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा **जवाहर सिंह सोभा सिंह बनाम भारत संघ अन्य** [4] के प्रकरण में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय शुल्क की माफी या वापसी की अंतर्निहित शक्तियाँ केवल उन्हीं शुल्कों तक सीमित है जिन्हें अवैधानिक अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारण अथवा संग्रहण किया गया हो और यह उन शुल्कों तक विस्तृत नहीं होती जो न्यायालय शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संदत्त अथवा वसूल किया गया हो।

[4] ए०आई०आर० 1958 पंजाब 38

17. **सरमनलाल यादव बनाम जबलपुर टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जबलपुर** [5] के प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के युगल पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिन प्रकरणों को न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 13, 14 एवं 15 में आवृत नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूलवश, अनवधानता से अथवा अपेक्षा से अधिक संदत्त न्यायालय शुल्क की वापसी का आदेश दे सकता है।

18. **द ऑफिशियल रिसीवर, कोयंबटूर बनाम एस०ए० रामास्वामी गौंडर वगैरह** [6] के प्रकरण में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा न्यायालय शुल्क की वापसी के प्रकरणों में व्य०प्र०सं० की धारा 151 के अधीन अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के दायरे पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि व्य०प्र०सं० की धारा 151 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जा सकता है जहाँ न्यायालय के आदेश के अधीन अतिरिक्त न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया हो और उक्त आदेश बाद में पलट दिया गया हो या निरस्त कर दिया गया हो क्योंकि ऐसे प्रकरणों में न्यायालय का यह दायित्व होता है कि वह कक्षीकार से ऐसे न्यायालय शुल्क का संदेय करने में की गई अपनी भूल को सुधार सके, जिसका संदेय वह विधि के अधीन करने का दायित्व नहीं है। व्य०प्र०सं० की धारा 151 के अधीन अंतर्निहित शक्ति एक न्यायिक शक्ति है, न कि कोई प्रशासनिक अथवा लिपिक शक्ति। केवल यह प्रमाणपत्र जारी कर देना कि न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया था किन्तु प्रकरण वापस ले लिए जाने के कारण उसका उपयोग नहीं हुआ, किसी भी दृष्टिकोण से न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. **किरण इलेक्ट्रिकल्स, इन्दौर बनाम स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर एवं एक अन्य** [7] के प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के युगल पीठ द्वारा भी यह अभिनिर्धारित

---

[5] 1979 एम०पी०एल०जे० शॉर्ट नोट-4

[6] ए०आई०आर० 1980 मद्रास 269

[7] 1983 एम०पी०एल०जे० 66

किया गया है कि न्यायालय के न्यायालय शुल्क के वापसी की अंतर्निहित शक्तियाँ केवल उन्हीं शुल्कों तक सीमित हैं जिन्हें अवैधानिक अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारण अथवा संग्रहण किया गया हो और यह उन शुल्कों तक विस्तारित नहीं होता जो न्यायालय शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संदत्त किए गए हों। अतः, व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 23क के अधीन परिहार के मामलों में, अपील के ज्ञापन पर संदत्त किया गया न्यायालय शुल्क, धारा 151 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर भी वापस नहीं किया जा सकता है।

राजी एंटरप्राइजेज (मे०) बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया [8] के प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के युगल पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय शुल्क की वापसी केवल न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के धारा 13 के प्रावधानों के अधीन ही आदेशित की जा सकती है।

रामलाल बनाम राज्य मध्यप्रदेश [9] के नवीनतम निर्णय में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के युगल पीठ द्वारा यह पुनः अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय शुल्क की वापसी के संबंध में सिद्धांत यह है कि जहाँ न्यायालय शुल्क संदेय करने का कोई विधिक दायित्व नहीं है, वहाँ न्यायालय आदेश देकर वस्तुतः विधि को क्रियान्वित करता है और कक्षीकार के दायित्व को बढ़ाता नहीं है। किन्तु यह सिद्धांत उस कक्षीकार के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता जिसने वह न्यायालय शुल्क संदत्त किया हो, जिसका विधि के अधीन भुगतान करना उसका दायित्व था, किन्तु जो कुछ परिस्थितियों के कारण यह अनुभव करता है कि न्यायसंगत विचार यह अपेक्षा करते हैं कि उससे न्यायालय शुल्क संदत्त नहीं कराया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. हम इलाहाबाद, पंजाब एवं मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों में प्रतिपादित विधि से आदरपूर्वक सहमत हैं कि जहाँ विधि के अनुसार उचित न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया है, वहाँ केवल इस आधार पर उसकी

[8] 1998 (II) एम०पी०डब्ल्यू०एन० नोट क्र० 133

[9] 2002 (3) एम०पी०एच०टी० (डी०बी०)

वापसी का आदेश नहीं दिया जा सकता कि कार्यवाही को तत्पश्चात पक्षकार द्वारा वापस ले लिया गया है। न्यायालय शुल्क की माफी अथवा वापसी की अंतर्निहित शक्ति केवल उन्हीं शुल्कों तक सीमित है जिन्हें अवैधानिक अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारण अथवा संग्रहण किया गया हो।

21. वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, अपीलार्थीगण द्वारा व्य०प्र०सं० की धारा 96 के अधीन यह प्रथम अपील दायर किया गया तथा अपील के ज्ञापन के साथ अपेक्षित न्यायालय शुल्क संदत्त किया गया। अपीलार्थीगण के आवेदन पर आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति के निष्पादन पर स्थगनादेश हेतु सुनवाई हुई और उनके पक्ष में स्थगनादेश पारित किया गया। तथापि, जब उत्तरवादी क्र० 1/वादी द्वारा यह प्रार्थना किया गया कि 1963 के अधिनियम की धारा 6 के उपधारा (3) के परिप्रेक्ष्य में अपील पोषणीय नहीं है, अपीलार्थीगण द्वारा अपील वापस लेने की अनुमति, सिविल पुनरीक्षण दायर करने की स्वतंत्रता, न्यायालय शुल्क की वापसी तथा आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति की प्रमाणित प्रति लौटाए जाने हेतु उपर्युक्त तीन आवेदन प्रस्तुत किया गया। यदि अंतर्निहित शक्तियों के अधीन अपीलार्थीगण के पक्ष में न्यायालय शुल्क की वापसी का आदेश पारित किया जाता है तो इसका आशय यह होगा कि अपीलार्थीगण को अधिनियम द्वारा उन पर अधिरोपित न्यायालय शुल्क के भुगतान के दायित्व से अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त कर दिया गया है। अतः, हमारे विचार में न्यायालय शुल्क की वापसी का आदेश पारित करने की अधिकारिता प्रत्यक्षतः न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 से उत्पन्न होता है; यदि ऐसी शक्तियाँ विधि द्वारा प्रदत्त नहीं हैं तो उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता सिवाय उन अपवादात्मक परिस्थितियों के जहाँ न्यायालय शुल्क का निर्धारण अथवा संग्रहण अवैधानिक अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपरोक्त कारणों से, इस अपील के वापसी हेतु आवेदन (आई०ए० क्र० 5) स्वीकृत किया जाता है, अपीलार्थीगण को यह अपील वापस लेने की अनुमति दी जाती है तथा उन्हें विधि द्वारा उपलब्ध उपचारों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की

जाती है, जिसमें आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण दायर करना भी सम्मिलित है, और तदनुसार, अपील को वापस ली गई मानते हुए खारिज किया जाता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी को वापस किया जाए। तथापि, न्यायालय शुल्क की वापसी हेतु अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन (आई०ए० क्र० 6) अस्वीकृत किया जाता है।

23. प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व हम श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संजय एस० अग्रवाल एवं श्री संजय के० अग्रवाल, अधिवक्तागण द्वारा न्यायमित्र के रूप में प्रदान की गई उनकी निष्ठापूर्ण एवं मूल्यवान सहायता हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा,
न्यायाधीश

(सही/-)
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

-

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Anusha Naik, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur